APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बानू बेगम पत्नि अब्दुल रहमान
निवासी तेलीपाड़ा गुलाबपुरा

बनाम उगमराज पिता लादूराम माली
निवासी गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा– वाद–पत्र अन्तर्गत धारा – 53, 188 रा.टी.ए.

प्रकरण संख्या– 191/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.5.2018	बाद जांच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मिलस दिनांक 18.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र हुरड़ा पेश करे। सहायक कलक्टर(SDO)गुलाबपुरा	
18.06.2018	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरड़ा पर पेश हुई वादीया व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । प्रतिवादी संख्या–1 उगमराज उपस्थित । वादीया व उनके अधिवक्ता के द्वारा आज राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा की फोटोप्रति प्रस्तुत कर , कथन किया कि वादीया व प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य राजीनामा हो चूका है । राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि में से जो भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी में अवाप्त की जाकर भूमि की प्रतिकर राशि का अवार्ड दोनों पक्षों के नाम जारी किया गया है वह अकेले प्रतिवादी उगमराज के रहेगी । वादीया के नाम जो भूमि प्रतिकर की राशि 4,34,088/– का अवार्ड स्वीकृत हुआ है । वह राशि मय ब्याज के वादीया प्रतिवादी उगमराज को भुगतान करेगी । जिसके पेटे वादीया के द्वारा चेक नम्बर– 505376 राशि 5,84,088 का प्रतिवादी उगमराज को दे दिया गया है । अब अवाप्तशुदा भूमि को प्रतिवादी उगमराज के 1/2 हिस्से की भूमि में से कम की जाकर शेष जो भी हिस्सा रहेगा , वह प्रतिवादी उगमराज का रहेगा और वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा जो 13 बीघा 06 बिस्वा है वह वादीया के हिस्से में रहेगा । उपस्थित प्रतिवादी उगमराज ने भी वादीया के नाम जारी अवार्ड की राशि प्राप्त होना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की गई सम्पूर्ण भूमि उसके 1/2 हिस्से में से कम किये तथा शेष रही भूमि का विभाजन किया जाना आज मेरे समक्ष स्वीकार किया है । उपस्थित	दावा डिक्री कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उगमराज [illegible] सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी की पहचान श्री विश्वद्वीप सिंह अधिवक्ता के द्वारा की गयी ।

मैनें उपस्थित वादीया उनके अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या–1 को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नप्रकार से रहा है ।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 मौजा गुलाबपुरा पटवार हल्का हुरडा मगरा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 693, 694 किता 2 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा भूमि बानू बेगम पत्नि अब्दुल रहमान मुसलमान , उगमराज पिता लादूराम माली साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड तथा नामान्तकरण संख्या– 26, 29 दिनांक 29.06.2016 भूमि अवाप्ति से आराजी नम्बर– 693 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा में से रकबा 0.693 हेक्टेयर भूमि गे.मू. सडक उगमराम पिता लादूराम माली हिस्सा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा. एन.एच 148 डी गुलाबपुरा से उनियारा हुरडा सेक्शन के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

वादग्रस्त आराजीयात 693, 694 किता 2 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा भूमि में राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या–1 दोनों का समान हक हिस्सा अर्थात् 1/2 , 1/2 हिस्सा होना प्रकट हुआ है । उक्त संयुक्त आराजीयात में से जो भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अवाप्त की गई है । वह दोनो खातेदारों के हक हिस्से में से कम होनी चाहिये किन्तु पटवारी हल्का के द्वारा खातेदार उगमराज के हिस्से में से ही भूमि कम किये जाने का अंकन राजस्व जमाबन्दी में किया गया । जिसको खातेदारों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें में भी स्वीकार किया है ।

चूँकि आज विवादित आराजीयात के खातेदारों के मध्य राजीनामा हो चूका है । और राजीनामा के अनुसार ही भूमि का विभाजन करवाया जाना मेरे समक्ष जाहिर किये जाने से दावा वादी लोक अदालत की भावना से प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

–:: निर्णय ::–

दावा वादी लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा गुलाबपुरा प्रथम पटवार हल्का हुरडा मंगरा तहसील हुरडा की आराजी नं.– 693, 694 किता 2 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 0.693 हे0 भूमि खातेदार उगमराज पिता लादूराम माली के 1/2 हक हिस्से में से कम की जाकर शेष भूमि के खातेदार काश्तकारों के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हे । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 18.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट हुरड़ा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

29.06.2018 तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र कमांक राजस्व/2018/ दिनांक 29.06.2018 से प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली आज पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । तहसीलदार हुरडा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है–

1– बानू बेगम पत्नि अब्दुल रहमान मुसलमान सा.देह खातेदार–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा I	694/1	13 बीघा 06 बिस्वा	
किता 01		13 बीघा 06 बिस्वा	

2– उगमराज पिता लादूराम माली सा. देह खातेदार –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा I	694	02 बीघा 04 बिस्वा	
	693	06 बीघा 17 बिस्वा	
किता 02		09 बीघा 01 बिस्वा	

3– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.148डी गुलाबपुरा से उनियारा हुरडा सेक्शन –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा I	693/1	04 बीघा 06 बिस्वा	गे.मू.चाह
	किता 01	04 बीघा 06 बिस्वा	

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner